बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-स०क० निग0-30-298/2011-1982 श्रीमती पिंकी कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रजौन, बांका सम्प्रति घोड़ासाहन, पूर्वी चम्पारण के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में वाहन के इंधन एवं रख-रखाव मद में फर्जी अभिश्रव के आधार पर रुपये 2,48,517/-(दो लाख अड़तालीस पॉच सौ सत्रह रूपये) गबन के वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी सेवक आचार संहिता नियमावली का उल्लंघन करने आदि आरोपों के संबंध में आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के पत्रांक-1155, दिनांक-10.12.2014 द्वारा उपलब्ध कराया गया जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-5965, दिनाक- 22.12.2014 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-5060, दिनाक-30.10.2017 द्वारा श्रीमती कुमारी को निलंबन से मुक्त किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के पत्रांक-734, दिनाक- 06.06.2015 दवारा श्रीमती कुमारी के विरुद्ध पूरक आरोप-पत्र "क" विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसमें सरकारी मोबाईल एवं सरकारी वाहन का प्रभार प्रतिस्थानी को हस्तगत नहीं करने, उसका दुरुप्रयोग करने तथा रोकड़ बही में छेड़छाड़ एवं वित्तीय अनियमितता करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। जिसके आलोक में विभागीय संकल्प संख्या- 64 दिनाक-07.01.2015, संकल्प संख्या-3306 दिनाक-03.08.2015 तथा यथा संशोधित संकल्प सख्य-1600 दिनांक-31.03.2016 एवं 2641 दिनांक 14.06.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जिसका संचालन पदाधिकारी, श्रीमती सुजाता चलाना, सयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को नियुक्त किया गया। उनके द्वारा पत्रांक-5140 दिनांक-09.12.2016 से जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसमें आरोपों को प्रमाणित एवं आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी से विभागीय पत्रांक-5310 दिनाक- 22.12.2016 एवं 1950 दिनाक-11.05.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी, जिसका जवाब आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक-03.06.2017 द्वारा विभाग को समर्पित किया गया।

आरोपी पदाधिकारी के द्वितीय कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की पूर्ण समीक्षोपरान्त प्रमाणित एवं आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती पिंकी कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रजौन, बांका सम्प्रति घोड़ासाहन, पूर्वी चम्पारण को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत चार (04) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने एवं 2,48,517/- (दो लाख अड़ातालीस हजार पाँच सौ सत्रह रूपये) की राशि पूर्ण समायोजन तक इनके वेतन से वसूली करने का निर्णय लिया गया। वृहद शास्ति पर विभागीय पत्रांक-4395 दिनांक-18.09.2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अपने पत्रांक-2493 दिनांक 12.01.2018 द्वारा सहमति दी गयी।

इसके आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-524 दिनांक-24.01.2018 द्वारा श्रीमती पिंकी कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रजौन, बांका सम्प्रति घोड़ासाहन, पूर्वी चम्पारण को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत् चार (04) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने एवं 2,48,517/- (दो लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ सत्रह रूपये) की राशि पूर्ण समायोजन तक इनके वेतन से वसूली करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी थी।

उक्त दंड के विरूद्ध श्रीमती कुमारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-22439/2019 दायर किया गया था। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 25.06.2025 को पारित न्यायादेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"This Court, prima facie, is of the view that the impugned order as contained in Memo No.524 dated 24.01.2018 is incomplete disregard to the principles of natural justice and thus wholly unsustainable and untenable in the eyes of law. Accordingly, the same stands set aside. The matter is relegated to the Disciplinary Authority to proceed further in accordance with law, after giving proper opportunity of hearing to the petitioner.

The writ petition stands allowed to the extent indicated hereinabove."

जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में LPA दायर करने हेतु विधि विभाग से परामर्श की मांग की गयी। विधि विभाग द्वारा इस मामले में पारित न्यायादेश के विरूद्ध LPA दायर नहीं किये जाने का परामर्श दिया गया है।

उक्त न्यायादेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती पिंकी कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रजौन, बांका सम्प्रति जमालपुर, मुंगेर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या-524, दिनांक-24.01.2018 द्वारा चार (04) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने एवं 2,48,517/- (दो लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ सत्रह रूपये) की राशि पूर्ण समायोजन तक इनके वेतन से वसूली करने की शास्ति को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्रीमती पिंकी कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रजौन, बांका सम्प्रति जमालपुर, मुंगेर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या-524, दिनांक-24.01.2018 द्वारा चार (04) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने एवं 2,48,517/- (दो लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ सत्रह रूपये) की राशि पूर्ण समायोजन तक इनके वेतन से वसूली करने की शास्ति को निरस्त किया जाता है।

2. निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
21/4/26
(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभा।

ज्ञापंक :- स०क० निग0-30-298/2011- 1982 पटना-15 दिनाक :- 22.4.2026

प्रतिलिपि ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

21/4/26
(अपर सचिव)
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक स0क० निग0-30-298/2011- 1982 पटना-15 दिनांकः- 22.4.2026

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त,मुंगेर/तिरहुत, निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बांका/मुंगेर/पूर्वी चम्पारण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका/मुंगेर/पूर्वी चम्पारण संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (स्था०), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती पिंकी कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रजौन, बांका सम्प्रति जमालपुर, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/4/26
(अपर सचिव)
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापाक :- स0क० निग0-30-298/2011- 1982 पटना-15 दिनांकः- 22.4.2026

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना/मुख्य प्रबंधक, एसेट्स मैनेजमेंट कम्पनी लि० यू० टी० आई० फाईनांसियल सेन्टर, प्रथम तल, एन०आई०फ्लैट, इन्वेस्टमेनट बिल्डिंग, महाराजा काम्प्लेक्स फ्रेजर रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/4/26
(अपर सचिव)
समाज कल्याण विभाग।